राजस्थान सरकार

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर

आज्ञा–पत्र

राजूसिंह बनाम कानसिह

पत्रावली संख्या 56/2022 विषय–धारा 225 आर.टी.ए.1955

दिनांक	आज्ञा	वि0वि0
12.10.2023	पत्रावली पेश हुई । माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की निगरानी सं0 3530/2022 उनवान कानसिंह आदि बनाम राजूसिंह आदि के निर्णय दिनांक 12.07.2022 की पालना में पत्रावली सं0 56/2022 उनवान राजूसिंह बनाम कानसिंह पुनः पेशी पर ली गई । अधीनस्थ न्यायालय का मुल वाद सं0 133/2022 उनवानी कानसिंह बनाम राजूसिंह को विड्रो कर लिये जाने के कारण निगरानी सं0 3530/2022 अनुवानी कानसिंह आदि बनाम राजूसिंह आदि को खारिज किया गया है । चूंकि इस न्यायालय में भी अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 08.06.2022 के विरूद्व पेश की गयी थी जिसमें इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 24.06.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 08.06.2022 की पालना आगामी तारीख पेशी तक स्थगित की गयी थी क्यों कि अब अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद को विड्रा कर लिया गया है जब अधीनस्थ न्यायालय में मूल दावा जरिये विड्रा खारिज कर दिया गया है तो इस न्यायालय में अपील को चलाने का कोई ओचित्य नही है । अतःयह अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो । निर्णय आज दिनांक 12.10.2023 को खूले न्यायालय में सुनाया गया ।	

(अशोक सांगवा)
भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर